UPSI180006152026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-155/2026

भुल्लू उर्फ चन्द्रिका आदि बनाम सरकार

दिनांकः-02.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त भुल्लू उर्फ चन्द्रिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-304/2024, अन्तर्गत धारा-4/10 वन संरक्षण अधिनियम व धारा-3/28 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, थाना थानगाँव, जिला सीतापुर में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय उपस्थित नहीं हैं न ही उनके द्वारा कोई आख्या अंकित की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है। अपराध जमानतीय है एवं गंभीरतम प्रकृति का नहीं है एवं प्रश्नगत अपराध सात साल से कम की सजा से दंडनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं प्रकरण के अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **भल्लू उर्फ चन्द्रिका** को मुकदमा अपराध संख्या-304/2024, अन्तर्गत धारा-4/10 वन संरक्षण अधिनियम व धारा-3/28 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, थाना थानगाँव, जिला-सीतापुर में **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(रोहित पुरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.02 17:41:30 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.